टिप्पणी के लिए ड्राफ्ट

साउथ ऑस्ट्रेलिया

एकल-उपयोग तथा अन्य प्लास्टिक उत्पाद (अपशिष्ट परिहार) (वर्जित प्लास्टिक उत्पाद) संशोधन नियम 2023

एकल-उपयोग तथा अन्य प्लास्टिक उत्पाद (अपशिष्ट परिहार) अधिनियम 2020 के तहत

विषय-वस्तु

भाग 1 — प्रारंभिक

1 लघु शीर्षक
2 शुरुआत

भाग 2 — *एकल-उपयोग तथा अन्य प्लास्टिक उत्पाद (अपशिष्ट परिहार) अधिनियम 2021 में संशोधन*

3 नियम 3 में संशोधन — व्याख्या
4 नियम 3A का समावेश
3A वर्जित प्लास्टिक उत्पाद की परिभाषा (अधिनियम की धारा 6(1)(h))— समावेश
5 नियम 8 का समावेश
8 प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स तथा एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों के लिए छूट

भाग 1 — प्रारंभिक

1 — लघु शीर्षक

इन नियमों का उल्लेख *एकल-उपयोग तथा अन्य प्लास्टिक उत्पादों (अपशिष्ट परिहार) (वर्जित प्लास्टिक उत्पाद) संशोधन नियम 2023* के रूप में किया जा सकता है।

2 — शुरुआत

यह नियम 1 सितंबर 2023 को लागू हो जाएँगे।

भाग 2 — *एकल-उपयोग तथा अन्य प्लास्टिक उत्पाद (अपशिष्ट परिहार) अधिनियम 2021 में संशोधन*

3— नियम 3 में संशोधन — व्याख्या

(1) नियम 3 — ***फार्मेसी व्यवसाय*** की परिभाषा के बाद समावेश:

पिज़्ज़ा सेवर का मतलब वह वस्तु है जिसकी रचना एक पिज़्ज़ा के डिब्बे में रखने के उद्देश्य से की गई है ताकि उस डीब्बे का ढक्कन उसमें रखे पिज़्ज़ा को न छू पाए;

प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड का मतलब वह वस्तु है जिसकी रचना उत्पाद है जिसमें एक डंडी होती है जो पूर्णतया या आंशिक रूप से, प्लास्टिक से बनी हुई होती है और जिसके या दोनों छोरों पर रूई, सिंथेटिक रेशे या कोई अन्य समान चीज़ लिपटी हुई होती है;

(2) नियम 3 — ***संबंधित भोजन और पेय-पदार्थ*** की परिभाषा के बाद समावेश:

एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों /**कटोरों** में शामिल नहीं है —

(a) विस्तारित पॉलियेस्टराइन का कटोरा/कटोरी; या

(b) एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरी/कटोरा जिसकी डिज़ाइन या जिसका निर्माण एक ढुलने से रोकने वाले ढक्कन सहित प्रयोग करने के उद्देश्य से किया गया है, चाहे वो ढक्कन अलग से आता हो या उसके साथ संलग्न हो; या

(c) एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरी/कटोरा जो भोजन या पेय-पदार्थ की किसी संबंधित पैकेजिंग का हिस्सा हो; या

(d) 1 नवंबर 2024 से पहले - कागज़ या पुट्ठे बनी कोई की कटोरी/कटोरा जिस पर प्लास्टिक की परत या लेप लगा हुआ हो;

एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की प्लेट में शामिल नहीं है —

(a) विस्तारित पॉलियेस्टराइन की प्लेट; या

(b) एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की प्लेट जो भोजन या पेय-पदार्थ की किसी संबंधित पैकेजिंग का हिस्सा हो; या

(c) 1 नवंबर 2024 से पहले - कागज़ या पुट्ठे बनी कोई प्लेट जिस पर प्लास्टिक की परत या लेप लगा हुआ हो;

4 — नियम 3A का समावेश

नियम 3 के बाद समावेश:

3A — वर्जित प्लास्टिक उत्पाद की परिभाषा (अधिनियम की धारा 6(1)(h))— समावेश

इस अधिनियम की धारा 6(1)(h) के अनुरूप , निम्नांकित प्लास्टिक उत्पादों या एक श्रेणी के प्लास्टिक उत्पादों, को ***वर्जित प्लास्टिक उत्पाद*** की परिभाषा की परिधि में शामिल किया गया है:

(a) प्लास्टिक पिज़्ज़ा सेवर;

(b) प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड;

(c) एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरी/कटोरा;

(d) एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की प्लेट।

5 — नियम 8 का समावेश

नियम 7 के बाद समावेश:

8 — प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स तथा एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों/कटोरों के लिए छूट

(1) इस अधिनियम की धारा 16(1) के अनुरूप, एक व्यक्ति को प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स या एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों/कटोरों के संबंध में इस अधिनियम की धारा 7(1) से छूट प्राप्त है यदि वह व्यक्ति प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स या एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों/कटोरों की बिक्री, आपूर्ति या वितरण (मामले की आवश्यकता के अनुसार) करता है और वह व्यक्ति उचित आधार पर इस बात के प्रति संतुष्ट है —

(a) कि प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स या एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों/कटोरों वह बिक्री, आपूर्ति या वितरण जनता के किसी सामान्य सदस्य के लिए नहीं है; तथा

(b) कि वह बिक्री, आपूर्ति या वितरण किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स या एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों/कटोरों का प्रयोग (मामले की आवश्यकता के अनुसार) चिकित्सीय, वैज्ञानिक, क़ानून की अवपालना या अपराध की जाँच-पड़ताल के उद्देश्य से करता है, या वह बिक्री, आपूर्ति या वितरण किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए है, जो प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स या एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों/कटोरों का प्रयोग (मामले की आवश्यकता के अनुसार) चिकित्सीय, वैज्ञानिक, क़ानून की अवपालना या अपराध की जाँच-पड़ताल के उद्देश्य से करता है

(2) इस अधिनियम की धारा 16(1) के अनुरूप, एक व्यक्ति को प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स के संबंध में इस अधिनियम की धारा 7(1) से छूट प्राप्त है यदि वह व्यक्ति प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स की बिक्री, आपूर्ति, या वितरण (मामले की आवश्यकता के अनुसार) एक प्राथमिक चिकित्सा किट या चिकित्सीय, वैज्ञानिक, क़ानून की अवपालना या अपराध की जाँच-पड़ताल में काम आने वाले किट के हिस्से कर रूप में करता है।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए —

(a) एक चिकित्सीय प्रयोजन में शामिल है —

(i) क्लिनिकल देखभाल, किसी चिकित्सा या दँत चिकित्सा केन्द्र में रोगियों का प्रबंधन या उपचार अथवा किसी देखभाल स्थल के निवासियों से संबंधित प्रयोजन; तथा

(ii) पशु-चिकित्सा से संबंधित दवा अथवा उपचार से संबंधित प्रयोजन,

परंतु —

(iii) प्लास्टिक की डंडी वाली कॉटन बड्स के मामले में — कॉस्मेटिक प्रयोजन शामिल नहीं है; तथा

(iv) एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कटोरियों/कटोरों के मामले में — लोगों को भोजन या पेय-पदार्थ परोसने के काम आने वाली कटोरियाँ/कटोरे शामिल नहीं हैं; तथा

(b) चिकित्सीय जाँच-पड़ताल में पशु-चिकित्सा दवाई या उपचार से संबंधित जाँच-पड़ताल शामिल है।

सम्पादकीय टिप्पणी—

लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट अधिनियम (Legislative Instruments Act) 1978 की धारा 10AA (2) की आवश्यकता के अनुसार, मंत्री द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि, मंत्री की राय में, यह आवश्यक या उचित है कि ये नियम इन्हीं नियमों में बताए अनुसार ही लागू किए जाएँ।

गवर्नर द्वारा बनाया गया

प्रबंधक काउंसिल की सलाह और सहमति के साथ

को

2022 की